निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 06 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बाजपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बाजपुर के माह सितंबर-2013 से अप्रैल- 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो अनिल कुमार शर्मा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री अंकित पांडे लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/05/2018 से 21/05/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः खण्ड प्रथम लेखा परीक्षा है ।

वर्तमान में माह 09/2013 से अप्रैल 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनिल कुमार शर्मा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री अंकित पांडे लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/05/2018 से 21/05/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलापः- क्षेत्र में नलकूप का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

विकास खण्ड बाजपुर,विकासखंड काशीपुर, विकासखंड रुद्रपुर एवं विकास खण्ड खटीमा में सिंचाई हेतु नलकूप का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` करोड़ में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) `
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14					9.5531	6.5454		
2014-15	--	--			10.307	7.6284		
2015-16	--	--			15.7641	15.6538		
2016-17	--	--			16.7993	16.7993		
2017-18	--	--			13.7255	13.7255		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

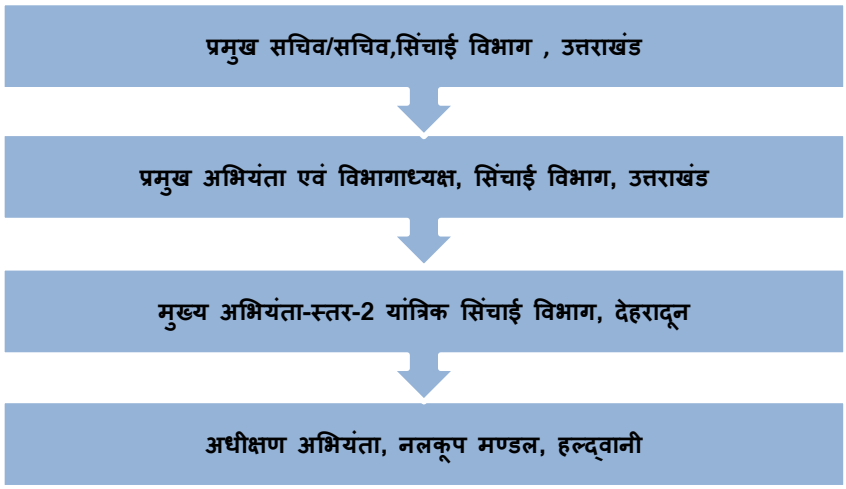

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बाजपुर के माह सितंबर 2013 से अप्रैल 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बाजपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च -2015 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक 23/12/2014 एवं 19/1/2016 को लेखा परीक्षा की गई

खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह ..... तथा .....तक की गई (9/2013 से वर्तमान तक लेखा बंदी नहीं की गई है)

फॉर्म-51: माह 03/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

भाग प्रथम- रुपए 924193

भाग द्वितीय- रुपए 138632

खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष माह 4/2018 के अंत में

1.नकद परिशोधन- 5686536

2.सामग्री क्रय- शून्य

3.निक्षेप पंजिका- 3151204.28

4.प्रकीर्ण अग्रिम- 242756.55

5.भंडार- 579167

1580280.99

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1: सामान्य भविष्य निधि से आहरित धनराशि रुपए 2.80 लाख का अंकन न किया जाना।

सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं वित्तीय नियमो के अनुसार सामान्य भविष्य निधि से किसी भी प्रकार से आहरित धनराशि का अंकन लेखो में तुरंत किया जाना चाहिए ताकि अभिदाता को किसी भी स्थिति में अधिक भुगतान न हो पाये

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बाजपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि लेखो की जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड में कार्यरत श्री रामकिशोर(नलकूप चालक)द्वारा वर्ष 2015-16 में रुपए 100000 एवं श्री सुरेश कुमार (नलकूप चालक)द्वारा वर्ष 2014-15 में रुपए 180000 का आहरण सामान्य भविष्य निधि लेखो से किया गया था किन्तु उक्त धनराशियों को लेखो से घटाया नहीं गया था जिस कारण लेखो में अधिक धनराशि एवं अधिक ब्याज की राशि लेखा प्रलक्षित हो रही थी एवं लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि लेखो में अंकन कर लिया गया है

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त में से एक कर्मचारी का वर्ष 2016-17 में अन्य खण्ड में स्थानांतरण हो चुका है, तथा दूसरे कर्मचारी के लेखे मे आवश्यक कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था न ही इस त्रुटि के लिए किसी की ज़िम्मेदारी नियत की गई थी

अतः खंडीय शिथिलता के कारण रुपए 2.80 लाख की आहरित धनराशि का अंकन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-2 (ब)

प्रस्तर -2 अनियमित क्रय रुपए 3,98,85,316.00

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 177/**XXXVII(1)/2008** देहरादून दिनांक 1 मई 2008 के द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 1 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के क्रम संख्या 3 के 10 के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ लेने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-2 भागों में विभक्त किया जाना चाहिए।

अध्याय -2 के सामग्री क्रय के संबंध में क्रम संख्या 15 के विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा के संबंध में अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो (व्यापक परिचालन वाले) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा आमंत्रित की जाये। क्रम संख्या 02 के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (**NIC)** की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए। अध्याय 2 के क्रम संख्या 24 के अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता**,** प्रतिस्पर्धा**,** निष्पक्षता बनाए रखने तथा स्वेच्छाचारित दूर करना के क्रम यह उल्लेखित किया गया है कि सभी शासकीय क्रय पारदर्शी तरीके से संपादित किए जाये ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे उतम मूल्य प्राप्त हो सके।

नलकूप खंड बाजपुर के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि खंड द्वारा माह 10/2013 से वर्ष 2015-16 तक 11 अनुबन्धो(विवरण संलग्न है) के माध्यम से Supply for PVC Pipes 200 mm dia for Water Supplies in light grey colour 0.4 MPA working pressure with socket and solvent Cement(in 6 mtrs. Length)ISI Mark including proper stacking in Central store Bajpur (as per IS 4985:2000) की रुपए 3,98,85,316.00 के चयनित अनुबंध गठित कर अधिप्राप्ति की गई थी। जोकि वित्तीय नियमो के प्रतिकूल थी। लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि पीवीसी पाइप हेतु अनुबंध के संबंध में पूर्व निविदाओ से प्राप्त प्रथम न्यूनतम दरों एवं शर्तों में सामग्री देने हेतु फर्म द्वारा सहमति पत्र खंड को प्रेषित करने के उपरान्त तथा अधीक्षण अभियंता, नलकूप खंड हल्द्वानी की स्वीकृति के उपरान्त ही चयन अनुबंध किया जाता है ।

खंड का उत्तर वित्तीय नियमो के अनुकूल नहीं था क्योंकि खंड को सामग्री अधिप्राप्ति वित्तीय नियमो के अनुसार ही करनी चाहिए थी, अतः वित्तीय नियमो के विपरीत सामग्री क्रय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1 रुपए 12.09 लाख के व्यय उपरान्त भी लाभ न मिलना।

1. अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड बाजपुर के अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा किसानो को सींच उपलब्ध करने हेतु क्षेत्र में 08 नए नलकूपो का निर्माण किया था एवं उक्त नलकूपों का निर्माण माह 07/2017 से 03/2018 तक पूर्ण किया जा चुका था। उक्त नलकूपो में से 01 नलकूप 7/2017 में, 02 नलकूप 12/2017 में एवं 01 नलकूप 1/2018 में बनकर तैयार हो चुके थे एवं उक्त के सापेक्ष खंड द्वारा 1208635.00 रुपए का भुगतान भी ऊर्जा विभाग को कर दिया गया था (विवरण संलग्न है) किन्तु लेखा परीक्षा अवधि(05/2018) तक अर्थात 05 से 11 माह उपरांत भी इन नलकूपो का ऊर्जीकरण नहीं हो पाया था। इनके ऊर्जीकरण हेतु खंड द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है, इस ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित वितरण खण्डो को लगातार विद्युत संयोजन हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

   खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नलकूपो का निर्माण के 05 से 11 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी किसानो को निर्मित नलकूपो की सींच का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।

   प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, बाजपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी.सी. सनवाल	अधिशासी अभियन्ता	1/4/13 से 13/8/13
2.	श्री सुरेश पाल	अधिशासी अभियन्ता	14/8/13 से 24/6/15
3.	श्री गोकरन सिंह	अधिशासी अभियन्ता	25/6/15 से वर्तमान तक

विगत लेखा परीक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय अधिकारी सम्बद्ध रहें

1.श्री शंभू कुमार	1/4/2013 से 5/7/2015
2.श्री सुनील तंवर	6/7/2015 से 3/9/2015
3.श्री आर एस बर्फाल	4/9/2015 से 4/10/2016
4.श्री डी एस टोमकियाल	5/10/2016 से 22/8/2017
5.श्री संजय तिवारी	23/8/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड बाजपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, द्वितीय तल, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक खंड -2